निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)

प्रकरण संख्या : 44 / 2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

माफी मन्दिर श्री सीताराम जी वाके देह परकोटा चौमू नाबालिग जरिये मेकस फंड पुजारी बाबूलाल पुत्र श्री कानूराम माली, जाति माली निवासी ग्राम जोधपुरा तन टाकरडा तहसील चौमू जिला जयपुर ग्रामीण ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेश जाखड आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर ग्रामीण ।
2. अध्यक्ष, ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर ।
3. सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. कार्यालय रेनवाल रोड, पिपाडी, करबा चौमू जिला जयपुर ग्रामीण।
4. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. कार्यालय रेनवाल रोड, करबा चौमू जिला जयपुर ग्रामीण। ।
5. सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग करबा चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर ग्रामीण।
6. उप पंजीयक चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर ग्रामीण।
7. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जोन–13, जरिये सचिव ।
8. प्रिन्सिपल सचिव अरबन डवलपमेन्ट एण्ड हाउसिंग डिपार्ट मेन्ट सचिवालय, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 201/2015 व वाद संख्या 227/2015 ब उनवानी मन्दिर सीताराम जी बनाम सहायक अभियन्ता व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित:–

1. श्री बनवारी लाल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री प्रकाश चन्द कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 21.09.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र संख्या 201/2015 व वाद संख्या 227/2015 ब उनवानी मन्दिर सीताराम जी बनाम सहायक अभियन्ता व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से

जिला कलक्टर
जयपुर

न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चौमू से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री प्रकाश चन्द कुमावत ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी की है जो नाबालिग शास्वत है जिसकी ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अप्रार्थीगण को पाबन्द किया हुआ है । उक्त आदेश आज दिनांक तक प्रभावी है। विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नाजायज रूप से अवैद्य अतिकमण कर कालोनी विकसित कर अन्य अप्रार्थीगण की सहायता से बिजली पानी कनेक्शन आदि लगाने पर आमादा है। विवादित आराजी से अप्रार्थीगण 2 लगायत 8 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 अवैद्य तरीके से वाद के विचारण रहते हुये भूमि पर आवंटन पत्र जारी करने पर आमदा है। अप्रार्थी संख्या 2 जो कि एक राजनैतिक प्रभावशाली व धनबल में सम्पन्न होने से अपने प्रभाव में अप्रार्थी संख्या 1 को लेकर अन्य अप्रार्थीगण के साथ मिल कर उक्त मन्दिर की आराजी पर कालोनी विकसित करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या एक अन्य अप्रार्थीगण के प्रभाव में है जो उक्त प्रकरण में बिना सम्यक कार्यवाही किये ही उक्त प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्व फैसला करने पर आमादा है। वर्तमान लिंक कोर्ट पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या एक राजनैतिक एवं अनैतिक व्यक्तियों के प्रभाव एवं प्रलोभन में आकर प्रार्थी का वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अन्तिम निस्तारण करने पर आमदा है, जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है। पीठासीन अधिकारी राजनैतिक प्रभाव में है तथा प्रकरण का बिना सम्यक कार्यवाही किये ही उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने पर आमादा है, इसके चलते अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशियां दी जा रही है। प्रार्थी को किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है। इसलिए प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त तथ्यों की पुष्टि इस प्रकार होती है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भी प्रार्थी को एलानिया कहा जा रहा है कि आगामी तारीख पेशी पर आपका स्टे खारिज करवा कर उक्त भूमि पर कालोनी विकसित करूंगा । मेरी अधिकारी से बात चीत हो चुकी है। न्याय की मंशा है कि न्याय किया ही जाना नही चाहिये बल्कि दर्शित भी होना चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के हितों पर विना गोर किये ही उक्त प्रकरण में निर्णय करने पर आमादा है। न्याय की यही मंशा है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन होते हुये प्रार्थी को ऐसा प्रतीत भी होना आवश्यक है कि उसे न्याय प्राप्त होगा। इसी सन्दर्भ में राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय ने अपने अनेकों निर्णयों में यही प्रतिपादित किया है कि जब परिवादी को न्याय

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त नहीं होने की आशंका हो तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 9267/32016 में उपखण्ड अधिकारी चौमू को प्रकरण का दो माह में निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है जिससे उपखण्ड अधिकारी चौमू द्वारा छोटी छोटी तारीख पेशी दी जा रही है। प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी चौमू के पीठासीन अधिकारी द्वारा छोटी छोटी तारीख पेशी दिये जाने का आरोप लगाया है। जबकि छोटी छोटी तारीख दिये जाने का मुख्य कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी चौमू को प्रकरण का 2 माह में निस्तारण किये जाने के आदेश दिया जाना पाया गया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी चौमू को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण एवं मैरिट पर निर्णय पारित करे।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 21.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर